आवास योजना

कार्यालय प्राचार्य, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.)

(शासी घोषितशासन द्वारा स्व. प्र.म.)

Tel (O)	(0734) 2511912	e-mail	principal.uecu@gmail.com
Tel (R)	(0734) 2511413	Web-site	www.uecu.ac.in
Fax	(0734) 2511912		

50 YEARS

क्रमांक/ छा वि /   /2025   उज्जैन दिनांक

//आवश्यक सूचना//

संस्था में सत्र 2025-26 में अध्ययनरत समस्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी शासकीय छात्रावासों में निवास नहीं करते है, उन्हे शासन द्वारा घोषित आवास योजना की पात्रता होगी।

आवास योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तों का पालन करना आवश्यक है:-

1. पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निधारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी आवास योजना का लाभ ले सकेंगे।

2. ऐसे विद्यार्थी जिनका शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रावासों में प्रवेश नहीं हुआ है वे विद्यार्थी आवास योजना सहायता पाने के पात्र होगे। इस सबंध में पोस्ट मेट्रिक छात्रावास में सीट रिक्त न होने से प्रवेश नही दिया गया है का प्रमाण पत्र जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ,उज्जैन द्वारा संचालित छात्रावासो के छात्रावास अधीक्षक एवं संस्था छात्रावास अधीक्षक से प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की प्रवेशित संस्था के छात्रावास में सीट रिक्त नहीं है का प्रमाण-पत्र छात्रावास अधीक्षक से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है।

5. विद्यार्थियों का आवास सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की कालावधि के लिये एक बार ही देय होगी।
6. किराये की गणना महाविद्यालयीन संस्था में प्रवेश लेने की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जावेगी। पोर्टल पर आवेदन करते समय इसका विशेष ध्यान रखे ताकि बाद में संशोधन नही करना पडे।
7. आवास योजना के ऑलाईन फार्म में त्रुटि होने पर केवल एक बार ही त्रुटि सुधार की सुविधा दी गई है।

8. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु निधारित स्टाम्प (शुल्क रु.500/-) पर किरायानामा (अनुबंध) मकान मालिक एवं किरायेदार (विद्यार्थी) के मध्य नोटरी की जाना आवश्यक है, किरायानामा पोर्टल पर अपलोड करेगे।
9. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी को स्टाम्प शुल्क से छुट प्रदान की गई है. इसके स्थान पर, द्विपक्षी किरायानामा पोर्टल पर अपलोड कर संस्था में जमा करावे।

10. अनुबंधित मकान मालिक को जो किराया राशि भुगतान की गई है उसकी पावती (रसीद) संलग्न करे।

11. आवेदक की कक्षाओं मे नियमानुसार उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

12. आवास योजना छात्रवृत्ति फार्म के साथ संलग्न किरायेनामा में अंकित पते का भौतिक सत्यापन समिति द्वारा किया जावेगा, अंकित पते पर विद्यार्थी नहीं पाये जाते है तो योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

निरंतर 2

13. पिता का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा की मेरे व परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से उज्जैन शहर में कोई निजी भवन/भु-खण्ड नहीं है तथा कोई नजदीकी रिस्तेदार निवास नही करता है।

14. आवास सहायता राशि का भुगतान वर्ष में दो बार होता है. अतः प्रथम किस्त का भुगतान होने के पश्चात विद्यार्थी को पुनः द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फार्म भरकर देना होगा तथा अनुबंधित मकान का किरायानामा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

15. द्वितीय किस्त हेतु वर्तमान में भी उसी मकान में निवासरत है का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा (शपथ-पत्र पोर्टल पर अपलोड नही करना है)।

16. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे। आवास सहायता आवेदन-पत्र, आय, प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड(स्वय एवं मकान मालिक) प्रवेश शुल्क रसीद, बैंक पासबुक, 10 वी, 12 वी, व समस्त सेमेस्टर की उर्तीण अंकसूची की छायाप्रति, मकान का किरायानामा मूल प्रति में, छात्रावास अधीक्षको से प्राप्त छात्रावास रिक्त न होने का प्रमाण पत्र, मकान किराया रसीद, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चस्पा करे।

Sd/-
प्राचार्य
उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज,
उज्जैन

क्रमांक/छा.वि./ 1756 /2025

उज्जैन दिनांक 29/7/25

1. जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन।
3. छात्रवृत्ति प्रभारी डॉ. ए.आर निगवाल/प्रो. बी. डाबर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन।
4. संस्था पोर्टल प्रभारी. उक्त सूचना संस्था की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. संस्था नोटिस बोर्ड।

प्राचार्य
इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन,
उज्जैन